

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(60)



ग्राम : यूनिवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित व्यापर एवं पृथक् भूमि पर यदि प्रभावक अस्थायित्वा जावे तो वह क्रमांक एवं दिनांक अस्थायित्वा जावे गिससे संविधा हो।

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2012/ 33

दिनांक: 10/05/13

// सुचना //

9300646151

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय विळांगौं चौधरी जोरा मुरेना () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष (आ.पा., हिन्दी राजनीतिशास्त्र, इतिहास) अति.विषय समाजशास्त्र, बी कॉम.तृतीय प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.एस.-सी.तृतीय वर्ष (आ.पा. गणित, औरिक, स्थायब) अति.विषय जनविद्यान एवं अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत विनाशकुसारा निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.के. श्रीवास्तव,आचार्य,भौतिक अध्ययनशाला जी.वि.वि. ग्वालियर
- (2) प्रो के.एस. राघवैर,आचार्य शास. के.आर.जी.कॉलेज,ग्वालियर
- (3) प्रो. एस.के.सिंह आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा. जी.वि.वि.ग्वालियर,
- (4) डॉ. एस.डी. सिसोदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अ.शास. जी.वि.वि. ग्वालियर

(संयोजक) (0751-2442784)

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर यांत्रि, वांछन शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आठिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक स्टॉफ़ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं बतेन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसा अंकित करें।

संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निवारा का पालन कुनै दिन भी अवश्य बदला जाएगा। इसके अलावा यह नियम उपर्युक्त अधिकारी को अपने द्वारा नियुक्त करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा यह नियम उपर्युक्त अधिकारी को अपने द्वारा नियुक्त करने के लिए अनिवार्य है।

३ मार्च
कल सवित्र

संविधान :-

- प्रातिलिपि :-**

 - समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - प्राचार्य अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उत्तर निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
 - आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
 - कूलपति के सचिव / कूलसचिव के लिंगी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंघिव (सम्बद्धता)